

2021-22



राजस्थान

ग्राम विकास अधिकारी

(VDO) (ग्राम सेवक)

प्रारंभिक परीक्षा हेतु

RAJASTHAN SUBORDINATE AND MINISTERIAL SERVICE
SELECTION BOARD (RSMSSB)

भाग -5 राजव्यवस्था + जिला प्रशासन
+ कंप्यूटर

• राज्य, जिला तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा

1. राज्यपाल
2. मुख्यमंत्री और मंत्रीपरिषद्
3. विधानमंडल
4. उच्च न्यायालय
5. राजस्थान लोक सेवा आयोग
6. राज्य मानवाधिकार आयोग
7. लोकायुक्त
8. राज्य निर्वाचन आयोग
9. राज्य सूचना आयोग
10. राजस्थान राज्य महिला आयोग
11. जिला प्रशासन एवं तहसील प्रशासन
12. पंचायती राज
13. ग्राम विकास के महत्वपूर्ण तथ्य

कम्प्यूटर

1. कम्प्यूटर का बुनियादी ज्ञान
2. इनपुट और आउटपुट युक्तियाँ
3. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर

4. माइक्रोसॉफ्ट पावर प्वाइंट
5. स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर
6. इण्टरनेट
7. कम्प्यूटर मेमोरी
8. सॉफ्टवेयर के प्रकार
9. विडोज के प्रकार इत्यादि।



अध्याय - 1

राज्यपाल

(अनुच्छेद 153)

- भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान पहले जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता था लेकिन अब सभी राज्यों के लिए लागू होता है।
- राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख "राज्यपाल" होता है वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है अर्थात् राज्यों में राज्यपालकी स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् में निहित होती है
- राज्य में राज्यपालका उसी प्रकार से स्थान है जिस प्रकार से देश में राष्ट्रपति का (कुछ मामलोंको छोड़कर)।
- मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में यह लिखित किया गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा लेकिन 7 वें संविधान संशोधन (1956) द्वारा इसमें एक अन्य प्रावधान जोड़ दिया गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

राज्यपाल बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं की आवश्यकता होती है -

योग्यताएं -

1. वह भारत का नागरिक हो।
 2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
 3. किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो।
 4. और वह राज्य विधान सभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो
- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 156(1) या वह पदत्याग कर सकता है अनुच्छेद 156 (2)

- सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाने के लिए "महाभियोग" प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उस प्रकार भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है।
- राज्यपाल का वर्तमान वेतन ₹350000 मासिक है यदि दोया अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो उसे दोनों राज्यपाल का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करें।
- राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ ग्रहण करता है।

राज्यपाल के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां -

- अपने पद पर अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्य पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है।
- राज्यपाल की अवधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती।
- जब वह अपने पद पर तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता।
- राज्यपाल का पदग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में सिविल करने से पहले उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है।

राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां -

1. कार्यपालिका संबंधी कार्य -

- राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्य के नाम से ही किए जाते हैं अर्थात् राज्यपाल राज्यपाल कार्यपालिका का नाममात्र का प्रमुख होता है।

- राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा उसकी सलाह से उनकी मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है।
- राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मुख्यसचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। (महत्वपूर्ण यह कि राज्यपाल राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त जरूर करता है लेकिन उनको उनके पद से हटा नहीं सकता। लोकसेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निरहताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। (अनुच्छेद 317)
- राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है।
- राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करें।
- राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है।
- राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपतियों की नियुक्ति करता है।
- राज्य विधान परिषद् की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है जिसका संबंध कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा, सहकारी आंदोलन होता है। (अनुच्छेद 171) ध्यान देने योग्य बात है कि राज्य सभा से संबंधित तत्समान सूची में "सहकारी आंदोलन" शामिल नहीं है।

2. विधायी शक्तियां -

- राज्यपाल विधान मंडल का अभिन्न अंग होता है अतः राज्यपाल राज्य विधान मंडल का सत्र आहूत करता है। सत्रावसान करता है। तथा उसका विघटन भी करता है।
- राज्यपाल विधान सभा के अधिवेशन तथा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है।
- राज्य विधान सभा के किसी भी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो योग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श से करता है।

- राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन सकता है।
- यदि विधान सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व ही मिलता तो राज्यपाल उस समुदाय के एकव्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत करता है (अनुच्छेद 333)
- विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है उस समय राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है जिस का कार्यकाल 6 सप्ताह तक होता है।
- राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधान मंडल के पास भेजता है परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वह उसपर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधायक जब राष्ट्रपति के निर्देश पर पुनर्विचार के लिए विधान मंडल को लौटा दे ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 माह के भीतर उस पर पुनर्विचार करेगा और यदि उसे पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। किंतु इस पर भी राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है। (अनुच्छेद 201)
- राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यह आरक्षित विधायक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान कर दें। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधायक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता है जिससे यदि विधेयक विधि बन जाएगा तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा होगा।

3. वित्तीय अधिकार -

- राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है।
- विधान सभा में धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही पेश किया जा सकता है।
- राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता।

- ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता है उस समय तक विधान मंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति ना कर दे।

नोट - राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है।

4. न्यायिक अधिकार -

- राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत वह किसी दंड को क्षमा, उसका प्रबिलम्बन, विराम या परिहार कर सकता है या किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण सकता है।
- यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधिके अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जिस के संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। (अनुच्छेद 161)

नोट - राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्युदंड आदेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है जबकि राज्यपाल को मृत्युदंड आदेश के मामले में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को सेना न्यायालय (कोर्ट-मार्शल) के दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है।

5. आपातकालीन शक्तियां -

- जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जा सकता है तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर (अनुच्छेद 356) यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले। अर्थात् राष्ट्रपति शासन लागू कर दें।

राजस्थान में राज्यपाल -

- राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे।
- राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण जी थे।
- सवाई मानसिंह राजस्थान के पहले राज्य प्रमुख थे जिन्हें राज्यपाल के समकक्ष माना जाता है। नवंबर 1956 को संविधान संशोधन द्वारा राजस्थान में राज्यप्रमुख व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था।
 - राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल बनी। श्रीमती प्रभाराव राजस्थान राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल तथा श्रीमती मार्गेट आल्वा राजस्थान की तीसरी महिला राज्यपाल थी।
- राज्यपाल डॉ संपूर्णनिंद के कार्य काल में राज्य में पहली बार 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था।
 - अब तक चार राज्य पाल की अपने पद पर रहकर मृत्यु हुई है -
 1. दरबारसिंह
 2. निर्मलचंद्रजैन
 3. शैलेंद्रकुमार
 4. प्रभारावानोट - श्रीमती प्रभाराव की अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुई वें इस प्रकार की राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी।
- राजस्थान में अब तक 17 बार कार्यवाहक राज्यपाल बने जा चुके हैं।
- राजस्थान राज्य के कल्याण सिंह 20 वें पूर्ण कालिक राज्यपाल थे और वर्तमान में कलराजमिश्र 21 वें (लेकिन कुल 44 वें) राज्यपाल हैं।
- राजस्थान के राज्यपालका ग्रीष्मकालीन प्रवास माउंटआबू राजस्थान में स्थित राजभवन में होता है यह भवन 1868 में भारत के गवर्नर जनरल के ए. जी. जी. केरेजिडेंस के तौर पर बनाया गया था।

राजस्थान के राज्यपालों की सूची -

1.

नोट - प्रिय पाठकों, यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे, धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718



अध्याय - 3

विधानमंडल

- विधान सभा या वैधानिक सभा को द्विसदनीय राज्यों में निचला सदन और एक सदनीय राज्यों में सोलहा उस कहा जाता है।
- दिल्ली व पुडुचेरी नामक दो केंद्रशासित राज्यों में भी इसी नामका प्रयोग निचले सदन के लिए किया जाता है।
- 7 द्वि सदनीय राज्यों में ऊपरी सदन को विधान परिषद कहा जाता है।
- विधानसभा के सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं क्योंकि उन्हें किसी एक राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है।
- इसके अधिकतम आकार को भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें 500 से अधिक व 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते।
- हालाँकि अपवाद के तौर पर गोवा, सिक्किम, मिजोरम और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा का आकार 60 सदस्यों से कम का है।
- प्रत्येक विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है जिसके बाद पुनः चुनाव होता है।
- आपात काल के दौरान, इस के सत्र को बढ़ाया जा सकता है या इसे भंग किया जा सकता है।
- विधान सभा का सत्र आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है लेकिन एक समय में केवल छः महीनों के लिए।
- विधानसभा को बहुमत प्राप्त या गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर भी भंग किया जा सकता है।
- विधानसभा को भी राज्यसभा व विधानपरिषद के सामान ही कानूनी ताकतें होती हैं।

सदस्य बनने हेतु योग्यता

- विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है, वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- वह मानसिक रूप से ठीक वदी वालिया न हो।
- उसको अपने ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा न होने का प्रमाण पत्र भी देना होता है।

विधानसभा की विशेष शक्तियाँ

- सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल विधान सभा में पारित किया जा सकता है।
- मनीबिल को केवल विधानसभा में लाया जा सकता है।
- द्वि सदनीय प्रणालियों में विधानसभा से पास हो जाने के बाद इसे विधान परिषद् के पास भेजा जाता है जहाँ इसे अधिकतम 14 दिनों के लिए रखा जा सकता है।
- साधारण बिलों में विधानसभा का ही मत चलता है और यहाँ संयुक्त बैठकका भी कोई प्रावधान नहीं होता।
- इस तरह के मामलों में, विधान परिषद् विधानसभा को केवल 4 महीनों (बिल लाने पर पहली बार 3 महीनों के लिये व दूसरी बार 1 महीने के लिए) स्थगित किया जा सकता है।

राजस्थान विधानसभा

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक राज्य को एक या दो सदनों से मिल कर एक विधायिका स्थापित करनी थी। राजस्थान ने एक सदनीय व्यवस्था का चुनाव किया और इसकी विधानसभा को राजस्थान विधानसभा के रूप में जाना जाता है।

राजस्थान विधानसभा भारतीय राज्य राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल

नोट - प्रिय पाठकों, यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे, धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718

अध्याय - 4

उच्च न्यायालय

- भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं जिनका अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के एक समूह होता है।
- वर्तमान समय में पंजाब तथा हरियाणा के लिए एक ही उच्च न्यायालय है और असम, नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय है।
- मुम्बई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र और गोवा राज्यों तथा दमन और दीव एवं दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों पर है।
- इसी प्रकार कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, मद्रास उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पाण्डिचेरी तथा केरल उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार लक्षद्वीप संघराज्य क्षेत्र पर है।
- सात संघशासित राज्यों में से केवल दिल्ली ही एक ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है, जिसका अपना उच्च न्यायालय है।
- उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214, अध्याय 5 वभाग 6 के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। न्यायिक प्रणाली के भाग के रूप में, उच्च न्यायालय राज्य विधायिकाओं और अधिकारी के संस्था से स्वतंत्र है।
- उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय के साथ, जो उनके अधीनस्थ होते हैं, राज्य के प्रमुख दीवानी न्यायालय होते हैं।
- उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबन्धित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के साथ होती है।
- इसके अलावा, राष्ट्रपति परामर्श के बिना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हस्तांतरण के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

गठन -

- प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर किया जाता है, जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करे।

न्यायाधीशों की योग्यता -

- अनुच्छेद 217 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य तब होगा , जब वह
- भारत का नागरिक हो और 62 वर्ष की आयु पूरी न की हो ।

कम से कम 10वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो । न्यायिक पद धारण करने की अवधि की गणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी , जिसके दौरान कोई

नोट - प्रिय पाठकों , यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे , धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718

राजस्थान उच्च न्यायालय -

- राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान का न्यायालय है।
- इसका मुख्यालय जोधपुर में है।
- यह 21 जून, 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के अंतर्गत स्थापित किया गया । इसकी एक खण्डपीठ जयपुर में भी स्थित है।
- राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 50 तक हो सकती है।

- न्यायधीश कमल कांत वर्मा को राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायधीश होने का गौरव प्राप्त है।
- राजस्थान हाई कोर्ट के जयपुर बेंच की स्थापना 31 जनवरी 1977 को की गई।

राजस्थान के मुख्य न्यायधीश

क्र.	मुख्य न्यायधीश	कार्यकाल
1.	1. श्री कमलकांत वर्मा	29.08.49 - 24.01.50
2.	2. श्री कैलाशवांचू	02.01.51 - 10.08.58

नोट - प्रिय पाठकों, यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे, धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718

अध्याय - 11

जिला प्रशासन एवं तहसील प्रशासन

जिला कलेक्टर: जिला अधिकारीयों में सर्वाधिक शक्तिशाली पद जिलाधीश या कलेक्टर का है ! उसे जिले का शीषस्थ अधिकारी माना जाता है ! उसे जिले में विकास का प्रतीक माना जाता है ! वह जिले में बहुमुखी गतिविधियों का संचालन करता है!

सहायक कलेक्टर: राजस्व प्रशासन में सहायक कलेक्टर का पद पूर्ण रूप से न्यायिक कार्यों के निष्पादन हेतु बनाया गया है ! इसका मुख्य कार्य राजस्व प्रकरणों को सुनना, निर्णित करने के लिए शुद्ध रूप से अदालती कार्य करना है ! सहायक कलेक्टर वरिष्ठ अदालत के रूप में कार्य करता है !

उपखण्ड अधिकारी: जिला अनेक उपजिलो में बंटा होता है ! उप जिले के मुखिया को एस. डी. ओ. अथवा उपजिलाधीश कहते हैं ! यह एस. डी ओ. जिला और तहसील प्रशासन के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी होता है ! इसका प्रमुख कार्य तहसीलों का निरीक्षण करना होता है ! प्रत्येक उप जिलाधीश के पास प्रायः एक या दो तहसील अधीन होती हैं और उपखण्ड अधिकारी इनके सफल प्रशासन के लिए वह जिलाधीश के प्रति उत्तरदायी होता है ! तहसीलदार के निर्णय के विरुद्ध उपजिलाधीश के यहाँ अपील की जा सकती है !

तहसील प्रशासन: भू- राजस्व प्रशासन की आधारभूत इकाई तहसील प्रशासन है जो गाव व जिले एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है ! तहसील प्रशासन भू - राजस्व , न्याय व विकास कार्यों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है ! राज्य के भौगोलिक विभाजन के आधार पर बनी अंतिम प्रशासनिक इकाई तहसील है ! तहसील विशुद्ध रूप से राजस्व प्रशासन के लिए बनाई गई है ! मुगल काल से ही राजस्व प्रशासन में तहसील का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है ! तहसील को कुछ अन्य राज्यों में दूसरे नामों से जाना जाता है, जैसे - तमिलनाडु में इसे 'तालुक' एवम् महाराष्ट्र में 'तालुक' कहा जाता है !

पटवारी प्रशासन का अंतिम प्रशासनिक कर्मचारी होता है ! भारत में मुगलकाल से ही पटवारी का पद राजस्व प्रशासन का महत्वपूर्ण भाग रहा है ! पटवारी किसानों से सम्बन्धित व्यक्ति था जो किसानों के व्यक्तिगत लगान लेना व लेनदेन का हिसाब रखना उसका प्रमुख कर्तव्य था !

राज्य एवम् केन्द्रीय सरकार से

नोट - प्रिय पाठकों , यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे , धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718

जिला कलेक्टर :

जिला अधिकारियों में सर्वाधिक शक्तिशाली पद जिलाधीश या कलेक्टर का है ! उसे जिले का शीषस्थ अधिकारी माना जाता है ! उसे जिले में विकास का प्रतिक माना जाता है ! वह जिले में बहुमुखी गतिविधियों का संचालन करता है !

मौर्यकाल में कलेक्टर को राजूका, मुगलकाल में मनसबदार या फौजदार तथा अंग्रेजों ने जिला निरीक्षक कहना प्रारम्भ किया ! 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम जिला निरीक्षण के स्थान पर कलेक्टर के पद का प्रारम्भ किया तथा 1781 में फौजदार का पद समाप्त कर उसका कार्यभार कलेक्टर को सौंप दिये ! 1812 में होल्ड मेकेंजी ने तथा 1833 में विलियम बेटिक ने कलेक्टर को काफी शक्तिशाली बना दिया !

1935 के अधिनियम के द्वारा कलेक्टर को शक्तिशाली बनाये जाने की सिफारिश की गई ! 1944 में रोलेट्स कमेटी द्वारा इस पद को और प्रतिष्ठावान बनाने की सिफारिश की गई ! सम्पूर्ण अंग्रेजी शासनकाल में जिला स्तर पर कलेक्टर केन्द्रीय शक्ति के रूप में कार्य करता रहा जो कि जिले की समस्त प्रशासनिक क्रियाओं को समन्वित करता था ! उसकी महता में लाखों शब्द वासरयो , गर्वनरों तथा शोधकर्ता द्वारा लिखे गए हैं ! ब्रिटिश शासनकाल में कलेक्टर का पद सत्ता, सम्मान और गौरवमय पद था ! जिला स्तर पर यह सरकार की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता था !

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कलेक्टर के पद के महत्व तथा स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है ! लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था में कलेक्टर जनता का सेवक बन गया है ! ऐसी स्थिति में

कलेक्टर के कार्यों की प्राथमिकताओं को पूर्णरूपेण बदल गई है! पहले भू - राजस्व प्रबन्धन, कानून और व्यवस्था की स्थापना करना उसका प्रमुख कार्य था किन्तु अब उसके लिए जन कल्याण तथा विकास से सम्बन्धित कार्य महत्वपूर्ण बन गए हैं!

साधारणतः कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है! वह या तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अथवा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति अधिकारी होता है! इसका चयन एवम् भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है तथा यह राज्य सरकार के लिए कार्य करता है! 6 से 10 वर्ष की सेवा कर चुके अधिकारी को कलेक्टर बनाया जाता है! उसका वेतन, सेवा शर्तें, आचरण, नियमन आदि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं! भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के अनुसार उसके कार्यकाल को सुरक्षा प्रदान की गई है! इसके अनुसार केंद्र की अनुमति के बिना निलम्बित, हटाया, पदावनत नहीं किया जा सकता!

राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा कलेक्टर को जिले का भू - अभिलेख अधिकारी बनाया गया है!

मुख्य कार्य :-

1. राजस्व एकत्रित करना
2. भूमि सुधार
3. कानून व्यवस्था की स्थापना

नोट - प्रिय पाठकों, यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे, धन्यवाद!

संपर्क करें - 8233195718

अध्याय- 12

पंचायती राज

- स्थानीय शासन 'महात्मा गाँधी' की संकल्पना राम राज्य या ग्राम स्वराज्य का परिष्कृत रूप है। गाँधीजी की इस संकल्पना को फलीभूत करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे, जो 1993 में 73वें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप सम्भव हुआ।
- 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत स्थानीय शासन भारतीय परिसंघीय व्यवस्था में तीसरे स्तर की सरकार को सामने ला खड़ा किया।
- 'पंचायती राज' और 'नगरपालिका प्रणाली' को संवैधानिक अस्तित्व प्राप्त करने में एक लम्बा संघर्ष करना पड़ा।
- वर्ष 1956 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज को स्थापित करने की सिफारिश की जिसे स्वीकार कर लिया गया साथ ही सभी राज्यों को इसे क्रियान्वित करने के लिए कहा गया।
- सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी और उसी दिन इसे सम्पूर्ण राज्य (राजस्थान) में लागू कर दिया गया।
- किन्तु वाँछित सफलता प्राप्ति में कमी ने इस पर गम्भीरता से विचार करने के लिए मजबूर किया। अनेक समितियों का गठन किया गया, जिन्होंने अपनी सिफारिशों से पंचायती राज को मजबूती प्रदान की।

पंचायती राज व्यवस्था समितियाँ

पंचायती राज व्यवस्था समितियाँ		
1.	बलवंत राय मेहता समिति	1957

2.	अशोक मेहता समिति	1977
3.	जी.वी.के. राव समिति	1985
4.	एल. एम. सिधवी समिति	1986
5.	संथानम समिति	1962
6.	सादिक अली समिति	1964

पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा

- वर्ष, 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी ने पंचायतों के सुधार व सशक्तिकरण में विशेष रुचि ली तथा एल. एम. सिधवी समिति और थुमन समिति की सिफारिशों के आधार पर लोकसभा में 64वाँ संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। जिसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया लेकिन राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के कारण विधेयक समाप्त हो गया।
- तत्पश्चात्, वर्ष 1992 में पंचायत सम्बन्धी प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव द्वारा 73वाँ संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा ने क्रमशः 22 एवं 23 दिसम्बर, 1992 को पारित कर दिया।
- 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद 20 अप्रैल, 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दी। 24 अप्रैल, 1993 से 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया।
- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने से देश के संघीय लोकतांत्रिक ढाँचे में एक नए युग का सूत्रपात हुआ और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया।

इस सविधान सशोधन द्वारा सविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद

नोट - प्रिय पाठकों, यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे, धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718



अध्याय - 13

ग्राम विकास के महत्वपूर्ण तथ्य

- भूमि के धरातल पर अवस्थित बिन्दुओं की माप-तोल करना कहलाता है - भू-सर्वेक्षण
- भू-सर्वेक्षण हेतु किन यन्त्रों की सहायता ली जाती है - चैन (जरीब) कम्पास, प्लेन टेबिल तथा थियोडोलाइट
- दाखिल-खारिज की जाती है- जब भूमि के कब्जे या स्वामित्व में परिवर्तन होता है
- भारत में कृषि वर्ष होता है - 1 जुलाई से 30 जून तक
- अधिकार-अभिलेख में शामिल होते हैं - खतरा एवं खतौनी
- अमीन का मुख्य कार्य होता है. - भू-राजस्व की कसूली करना
- फसली वर्ष कहा जाता है - कृषि वर्ष को
- विवादों को पंच निर्णय को निर्देशित करने का अधिकार है - प्रत्येक राजस्व न्यायालयों को
- विवादों को पंच निर्णय को निर्देशित करने का अधिकार किसे नहीं है - तहसीलदार को
- मालगुजारी क्या है - यह एक टैक्स है, जो भूमि पर उसकी उपज पर लगाया जाता है
- भू-राजस्व क्या है - सरकार द्वारा लगाया गया कर
- लगान क्या है - संविदा की वस्तु, जिसे पक्षकारों के करार से परिवर्तित किया जा सकता है
- पंचायत समिति द्वारा निर्धारित निर्णयों का कार्यान्वयन कौन करता है - खण्ड विकास अधिकारी
- भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से बसूला जाने वाला टैक्स क्या कहलाता है- लगान
- लम्बाई के मापन हेतु प्रयुक्त की जाती है - जरीब, करम, पोल
- भूमि सुधार हेतु भारत में सबसे पहले क्या प्रारम्भ किया गया - जमींदारी उन्मूलन
- चकबन्दी की प्रक्रिया एक कल्याणकारी योजना है- राज्य सरकार की

नोट - प्रिय पाठकों , यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे , धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718



कंप्यूटर

अध्याय - 2

इनपुट और आउटपुट युक्तियाँ

कम्प्यूटर और मनुष्य के मध्य सम्पर्क (Communication) स्थापित करने के लिए इनपुट-आउटपुट युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इनपुट युक्तियों का प्रयोग कम्प्यूटर को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है।

इनपुट डेटा को प्रोसेस करने के बाद, कम्प्यूटर आउटपुट युक्तियों के द्वारा प्रयोगकर्ता को आउटपुट प्रदान करता है। कम्प्यूटर मशीन से जुड़ी हुई सभी इनपुट-आउटपुट युक्तियों को पेरिफेरल युक्तियाँ भी कहते हैं।


इनपुट युक्तियाँ (Input Devices)

वे युक्तियाँ, जिनका प्रयोग उपयोगकर्ता के द्वारा कम्प्यूटर को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है, इनपुट युक्तियाँ कहलाती हैं। इनपुट युक्तियाँ उपयोगकर्ता से इनपुट लेने के बाद इसे मशीनी भाषा (Machine Language) में परिवर्तित करती हैं और इस परिवर्तित मशीनी भाषा को सीपीयू के पास भेज देती हैं।

कुछ प्रमुख इनपुट युक्तियाँ निम्न हैं

1. कीबोर्ड (Keyboard)

कीबोर्ड एक प्रकार की मुख्य इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का प्रयोग कम्प्यूटर को अक्षर और अंकीय रूप में डेटा और सूचना देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड एक सामान्य टाइपराइटर की तरह दिखता है, इसमें टाइपराइटर की अपेक्षा कुछ ज्यादा कुंजियाँ (Keys) होती हैं। जब कोई कुंजी कोबोर्ड पर दबाई जाती है तो कीबोर्ड, कीबोर्ड कण्ट्रोलर और की बोर्ड बफर से सम्पर्क करता है। कीबोर्ड कण्ट्रोलर, दबाई गई कुंजी के कोड को कीबोर्ड बफर में स्टोर करता है और बफर में स्टोर कोड सी पी यू के पास भेजा जाता है। सी पी यू इस कोड को प्रोसेस करने के बाद इसे आउटपुट डिवाइस पर प्रदर्शित करता है। कुछ विभिन्न प्रकार के कीबोर्ड जैसे कि QWERTY, DVORAK और AZERTY मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं।



कीबोर्ड का लेआउट

कीबोर्ड में कुंजियों के प्रकार

(Types of Keys on Keyboard)

कीबोर्ड में निम्न प्रकार की कुंजियाँ होती हैं

(i) अक्षरांकीय कुंजियाँ (Alphanumeric Keys) इसके अंतर्गत अक्षर कुंजियाँ (A, B,....., a, b, c,....., z) और अंकीय कुंजियाँ (0, 1, 2, 9) आती हैं।

(ii) अंकीय कुंजियाँ (Numeric Keys) ये कुंजियाँ कीबोर्ड पर दाएँ तरफ होती हैं। ये कुंजियाँ अंको (0, 1, 2, 9) और गणितीय ऑपरेटरों (Mathematical operators) से मिलकर बनी होती हैं।

(iii) फंक्शन कुंजियाँ (Function Keys) इन्हें प्रोग्रामेबल कुंजियाँ भी कहते हैं। इनके द्वारा कंप्यूटर से कुछ विशिष्ट कार्य करवाने के लिए निर्देश दिया जाता है। ये कुंजियाँ अक्षरांकीय कुंजियों के ऊपर F1, F2, F12 से प्रदर्शित की जाती हैं।

(iv) कर्सर कण्ट्रोल कुंजियाँ (Cursor Control Keys) इसके अन्तर्गत चार तीर के निशान वाली कुंजियाँ आती हैं जो चार दिशाओं (दाएँ, बाएँ, ऊपर, नीचे) को दर्शाती हैं। ये कुंजियाँ अक्षरांकीय कुंजियों और अंकीय कुंजियों के मध्य उल्टे T आकार में व्यवस्थित होती हैं, इनका प्रयोग कर्सर को ऊपर, नीचे, दाएँ या बाएँ ले जाने के लिए करते हैं। इन चारों कुंजियों के अतिरिक्त चार कुंजियाँ और होती हैं, जिनका प्रयोग कर्सर को कण्ट्रोल करने के लिए करते हैं।

ये कुंजियाँ निम्न हैं

(a) होम (Home) इसका प्रयोग लाइन के प्रारम्भ में या डॉक्यूमेंट के प्रारम्भ में कर्सर को वापस भेजने के लिए करते हैं।

(b) एण्ड (End) इसका प्रयोग कर्सर को लाइन के अन्त में भेजने के लिए करते हैं।

(c) पेज अप (Page Up) जब इस कुंजी को दबाया जाता है तो पेज का व्यू (View) एक पेज ऊपर हो जाता है और कर्सर पिछले पेज पर चला जाता है।

(d) पेज डाउन (Page Down) जब ये कुंजी दबाई जाती है तो पेज का व्यू एक पेज नीचे हो जाता है और कर्सर अगले पेज पर चला जाता है।

कीबोर्ड की अन्य कुंजियाँ

कुछ अन्य कुंजियाँ निम्नलिखित हैं

कण्ट्रोल कुंजियाँ (Control Keys-Ctrl) ये कुंजियाँ, अन्य कुंजियों के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। जैसे Ctrl + S डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग होती हैं।

एण्टर कुंजी (Enter Key) इसे कीबोर्ड की मुख्य कुंजी भी कहते हैं। इसका प्रयोग उपयोगकर्ता द्वारा टाइप किए गए निर्देश को कम्प्यूटर को भेजने के लिए किया जाता है। एण्टर कुंजी टाइप करने के बाद निर्देश कम्प्यूटर के पास जाता है और निर्देश के अनुसार कम्प्यूटर आगे का कार्य करता है।

शिफ्ट कुंजी (Shift Keys) कीबोर्ड में कुछ कुंजी ऐसी होती हैं, जिनमें ऊपर-नीचे दो संकेत छपे होते हैं। उनमें से ऊपर के संकेत को टाइप करने के लिए उसे शिफ्ट कुंजी के साथ दबाते हैं। इसे कॉम्बिनेशन-की भी कहा जाता है।

एस्केप कुंजी (Escape Key) इसका प्रयोग किसी भी कार्य को समाप्त करने या बीच में रोकने के लिए करते हैं। यदि Ctrl Key दबाए हुए, एस्केप कुंजी दबाते हैं तो यह स्टार्ट मेन्यू (Start Menu) को खोलता है।

बैक स्पेस कुंजी (Back Space Keys) इसका प्रयोग टाइप किए गए डेटा या सूचना को समाप्त करने के लिए करते हैं। यह डेटा को दाएँ से बाएँ दिशा की ओर समाप्त करता है।

डिलीट कुंजी (Delete Keys) इस कुंजी का प्रयोग कम्प्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन से अक्षर को समाप्त करने के लिए करते हैं। किन्तु यदि इसे शिफ्ट की के साथ दबाते हैं तो चुनी हुई फाइल कम्प्यूटर की मेमोरी से स्थायी रूप से समाप्त हो जाती है।

कैप्स लॉक कुंजी (Caps Lock Key) इसका प्रयोग वर्णमाला (Alphabet) को बड़े अक्षरों (Capital letters) में टाइप करने के लिए करते हैं। जब ये की सक्रिय (Enable) होती है तो बड़े अक्षर में टाइप होता है। यदि यह कुंजी निष्क्रिय (Disable) होती है तो छोटे अक्षर (Small Letter) में टाइप होता है।

स्पेसबार कुंजी (Spacebar Key) इसका प्रयोग दो शब्दों या अक्षरों के बीच स्पेस बनाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह कीबोर्ड की सबसे लम्बी कुंजी होती है।

नम लॉक की (Num Lock Key) इसका उपयोग सांख्यिक की-पैड (Numeric Key pad) को सक्रिय या निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। यदि ये कुंजी सक्रिय होती है तो अंक टाइप होता है और यदि ये कुंजी निष्क्रिय होती है तो अंक टाइप नहीं होता है।

विण्डो कुंजी (Window Key) इसका प्रयोग स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए करते हैं।

टैब कुंजी (Tab Key) इसका प्रयोग कर्सर को एक बार में पाँच स्थान आगे ले जाने के लिए किया जाता है। कर्सर को पुनः पाँच स्थान वापस लाने के लिए टैब कुंजी को शिफ्ट कुंजी के साथ दबाया जाता है। इसका प्रयोग पैराग्राफ इण्डेंट करने के लिए भी किया जाता है।

शिफ्ट कुंजी (Shift Key) इस कुंजी (Key) को दूसरी कुंजियों के साथ प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे संयोजन कुंजी (Combination) भी कहते हैं।

कैप्स लॉक (Caps Lock) और नम लॉक (Num Lock) को टोगल कुंजी (Toggle Keys) कहते हैं क्योंकि जब ये दबाए जाते हैं तो इनकी अवस्थाएँ (States) परिवर्तित होती रहती हैं।

QWERTY कीबोर्ड में कुल 104 कुंजी होती हैं।

2. प्वाइंटिंग युक्तियाँ (Pointing Devices)

प्वाइंटिंग डिवाइसेज का प्रयोग मॉनीटर के स्क्रीन पर कर्सर या प्वाइण्टर को एक स्थान-से-दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। कुछ मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाली प्वाइंटिंग युक्तियाँ, जैसे- माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन और टच स्क्रीन आदि हैं।

(i) माउस (Mouse)

माउस एक प्रकार की प्वाइंटिंग युक्ति है। इसका प्रयोग कर्सर (टेक्स्ट में आपकी पोजिशन दर्शाने वाला ब्लिंकिंग प्वाइण्ट) या प्वाइण्टर को एक स्थान-से-दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त माउस का प्रयोग कम्प्यूटर में ग्राफिक्स (Graphics) की सहायता कम्प्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं।



वायर माउस



वायरलेस माउस

माउस सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं।

- (a) वायरलेस माउस (Wireless Mouse)
- (b) मैकेनिकल माउस (Mechanical Mouse)
- (c) ऑप्टिकल माउस (Optical Mouse)

माउस के चार प्रमुख कार्य हैं

(a) क्लिक या लैफ्ट क्लिक (Click or Left Click) यह स्क्रीन पर किसी एक Object को चुनता है।

(b) डबल क्लिक (Double Click) इसका प्रयोग एक डॉक्यूमेण्ट या प्रोग्राम को खोलने के लिए करते हैं।

(c) दायीं क्लिक (RightClick) यह स्क्रीन पर आदेशों की एक सूची दिखाता है। दायीं क्लिक का प्रयोग किसी चुने हुए Object के गुण को एक्सेस (Access) करने के लिए करते हैं।

(d) ड्रैग और ड्रॉप (Drag and Drop) इसका प्रयोग किसी Object को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं।

(ii) ट्रैकबॉल (Trackball) ट्रैकबॉल एक प्रकार की प्वाइंटिंग ट्रैकबॉल युक्ति है जिसे माउस की तरह प्रयोग किया जाता है। इसमें एक बॉल ऊपरी सतह पर होती है। इसका प्रयोग कर्सर के मूवमेण्ट (Movement) को कण्ट्रोल करने के लिए किया जाता है।



इसका प्रयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है।

(a) CAD वर्कस्टेशनों (Computer Aided Design Workstations) में

(b) CAM वर्कस्टेशनों (Computer Aided Manufacturing Workstations) में

(c) कम्प्यूटरीकृत वर्कस्टेशनों (Computerised Workstations) जैसे कि एयर-ट्रैफिक कंट्रोल रूम (Air-traffic Control Room), रडार कंट्रोल (Radar Controls) में

(d) जहाज पर सोनार तंत्र (Sonar System) में

(iii) Freiftech (Joystick)

जॉयस्टिक एक प्रकार की प्वाइंटिंग युक्ति होती है जो सभी दिशाओं में मूव करती है और कर्सर के मूवमेण्ट को कंट्रोल करती है। जॉयस्टिक का प्रयोग फ्लाइट सिम्युलेटर (Flightsimulator), कम्प्यूटरगेमिंग, जॉयस्टिक CAD/CAM सिस्टम में किया जाता है। इसमें एक हैंडल (Handle) लगा होता है, जिसकी सहायता से कर्सर के मूवमेण्ट को कंट्रोल करते हैं।



जॉयस्टिक

ION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

जॉयस्टिक और माउस दोनों एक ही तरह से कार्य करते हैं किन्तु दोनों में यह अन्तर है कि कर्सर का मूवमेण्ट माउस के मूवमेण्ट पर निर्भर करता है, जबकि जॉयस्टिक में, प्वाइंटर लगातार अपने पिछले प्वाइंटिंग दिशा की ओर

नोट - प्रिय पाठकों, यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है। इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम



सेवक) के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे, धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718



इण्टरनेट (Internet)

इण्टरनेट कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण व दक्ष माध्यम है, जिसने काफी लोकप्रियता अर्जित की है। इण्टरनेट के माध्यम से लाखों व्यक्ति सूचनाओं, विचारों, ध्वनि, वीडियो क्लिप्स इत्यादि को कम्प्यूटरों के जरिए पूरी दुनिया में एक-दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। यह विभिन्न आकारों व प्रकारों के नेटवर्कों से मिलकर बना होता है।

इण्टरनेट (Internet)

इसका पूरा नाम इण्टरनेशनल नेटवर्क है जिसे वर्ष 1950 में विट कर्फे ने शुरू किया इन्हें इण्टरनेट का पिता कहा जाता है। इण्टरनेट "नेटवर्कों" का नेटवर्क है, जिसमें लाखों निजी व सार्वजनिक लोकल से ग्लोबल स्कोप वाले नेटवर्क होते हैं। सामान्यतः, "नेटवर्क दो या दो से अधिक कम्प्यूटर सिस्टमों को आपस में जोड़कर बनाया गया एक समूह है।"



इण्टरनेट

इण्टरनेट का इतिहास (History of Internet)

सन् 1969 में, लास एंजेल्स (Los Angeles) में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया (University of California) तथा यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा (University of Utah) अरपानेट (ARPANET- Advanced Research Projects Agency Network) की शुरुआत के रूप में जुड़े। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के कम्प्यूटरों को आपस में कनेक्ट करना था। यह दुनिया का पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था।

मध्य 80 के दशक में, एक और सघीय एजेसी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन (National Science Foundation) ने एक नया उच्च क्षमता वाला नेटवर्क NSFnet बनाया जो ARPANET से अधिक सक्षम था। NSFnet में केवल यही कमी थी कि यह अपने नेटवर्क पर केवल शैक्षिक अनुसंधान की ही अनुमति देता था, किसी भी प्रकार के निजी व्यापार की अनुमति नहीं। इसी कारण निजी संगठनों, तथा लोगों ने अपने खुद के नेटवर्क का निर्माण करना शुरू कर दिया जिसने बाद में ARPANET तथा NSFnet से जुड़कर इंटरनेट का निर्माण किया।

इंटरनेट के लाभ (Advantages of Internet)

इंटरनेट के लाभ निम्नलिखित हैं

- दूसरे व्यक्तियों से आसानी से सम्पर्क बनाने की अनुमति देता है।
- इसके माध्यम से दुनिया में कहीं भी, किसी से भी सम्पर्क बनाया जा सकता है।
- इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट को प्रकाशित करने पर पेपर इत्यादि की बचत होती है।
- यह कम्पनियों के लिए कीमती संसाधन है। जिस पर वे व्यापार का विज्ञापन तथा लेन-देन भी कर सकते हैं।
- एक ही जानकारी को कई बार एक्सेस करने के बाद उसे पुनः सर्च करने में कम समय लगता है।

इंटरनेट की हानियाँ (Disadvantages of Internet)

इंटरनेट की हानियाँ निम्नलिखित हैं

- कम्प्यूटर में वायरस के लिए यह सर्वाधिक उत्तरदायी है।
- इंटरनेट पर भेजे गए सन्देशों को आसानी से चुराया जा सकता है।
- बहुत-सी जानकारी जाँची नहीं जाती। वह गलत या असंगत भी हो सकती है।

(d) अनर्छेक तथा अनुचित डॉक्यूमेन्ट/तत्व कभी-कभी गलत लोगों (आतकवादी) द्वारा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं।

(e) साइबर धोखेबाज क्रेडिट/डेबिट कार्ड की समस्त जानकारी को चुराकर उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।

इण्टरनेट कनेक्शन्स (Internet Connections)

बैंडविड्थ व कीमत इन दो घटकों के आधार पर ही कौन से इण्टरनेट कनेक्शन को उपयोग में लाना है यह सर्वप्रथम निश्चित किया जाता है। इण्टरनेट की गति बैंडविड्थ पर निर्भर करती है। इण्टरनेट एक्सेस के लिए कुछ इण्टरनेट कनेक्शन इस प्रकार हैं

1. डायल-अप कनेक्शन (Dial-up Connection)

डायल-अप पूर्व उपस्थित टेलीफोन लाइन की सहायता से इण्टरनेट से जुड़ने का एक माध्यम है। जब भी उपयोगकर्ता डायल-अप कनेक्शन को चलाता है, तो पहले मॉडम इण्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) का फोन नम्बर डायल करता है। जिसे डायल-अप कॉल्स को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है व फिर आई एस पी (ISP) कनेक्शन स्थापित करता है। जिसमें सामान्य रूप से दस सेकण्ड्स लगते हैं। सामान्यतः शब्द ISP उन कम्पनियों के लिए प्रयोग किया जाता है। जो उपयोगकर्ताओं को इण्टरनेट कनेक्शन प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, कुछ प्रसिद्ध ISP के नाम हैं- Airtel, MTNL, Vodafone आदि।

2. ब्रॉडबैंड कनेक्शन (Broad Band Connection)

ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल हाई स्पीड इण्टरनेट एक्सेस के लिए सामान्य रूप से होता है। यह इण्टरनेट से जुड़ने के लिए टेलीफोन लाइनों को प्रयोग करता है। ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता को डायल-अप कनेक्शन से तीव्र गति पर इण्टरनेट से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है। ब्रॉडबैंड में विभिन्न प्रकार की हाई स्पीड संचरण तकनीकें भी सम्मिलित हैं, जो कि इस प्रकार

(a) डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन (DSL- Digital Subscriber Line)

यह एक लोकप्रिय ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, जिसमें इण्टरनेट एक्सेस डिजिटल डेटा को लोकल टेलीफोन नेटवर्क के तारों (ताँबे के) द्वारा संचरित किया जाता है। यह डायल सेवा की तरह, किन्तु उससे अधिक तेज गति से कार्य करता है। इसके लिए DSL मॉडम की आवश्यकता होती है, जिससे टेलीफोन लाइन तथा कम्प्यूटर को जोड़ा जाता है।

(b) केबल मॉडम (Cable Modem)

इसके अन्तर्गत केबल ऑपरेटर्स कोएक्सीयल केबल के माध्यम से इण्टरनेट इत्यादि की सुविधाएँ भी प्रदान कर सकते हैं। इसकी ट्रांसमिशन स्पीड 1.5 Mbps या इससे भी अधिक हो सकती है।

(c) फाइबर ऑप्टिक (Fiber Optic)

फाइबर ऑप्टिक तकनीक वैद्युतीय संकेतों के रूप में उपस्थित डेटा को प्रकाशीय रूप में बदल उस प्रकाश को पारदर्शी ग्लास फाइबर, जिसका व्यास मनुष्य के बाल के लगभग बराबर होता है, के जरिए प्राप्तकर्ता तक भेजता है।

(d) ब्रॉडबैंड ऑवर पावर लाइन (Broad Band Over Power Line)

निम्न तथा माध्यम वोल्टेज के इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सविस को ब्रॉडबैंड ऑवर पावर लाइन कहते हैं, यह उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, जहाँ पर पावर लाइन के अलावा कोई और माध्यम उपलब्ध नहीं है। उदाहरण- ग्रामीण क्षेत्र इत्यादि।

3. वायरलेस कनेक्शन (Wireless Connection)

वायरलेस ब्रॉडबैंड ग्राहक के स्थान और सविस प्रोवाइडर के बीच रेडियो लिंक का प्रयोग कर घर या व्यापार इत्यादि को इण्टरनेट से जोड़ता है। वायरलेस ब्रॉडबैंड स्थिर या चलायमान होता है। इसे केबल या मॉडम इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती व इसका प्रयोग हम किसी भी क्षेत्र में, जहाँ DSL व केबल इत्यादि नहीं पहुँच सकते, कर सकते हैं।

(a) वायरलेस फिडेलिटी (Wireless Fidelity- WiFi)

यह एक सार्वत्रिक वायरलेस तकनीक है, जिसमें रेडियो आवृत्तियों को डेटा ट्रांसफर करने में प्रयोग किया जाता है। वाई-फाई केबल या तारों के बिना ही उच्च गति से इण्टरनेट सेवा प्रदान

नोट - प्रिय पाठकों, यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के



संपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे, धन्यवाद।

संपर्क करें - 8233195718





INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

AVAILABLE ON/  



01414045784



contact@infusionnotes.com



<http://www.infusionnotes.com/>